


राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण

भारत से परियोजना
निर्यातों को सहयोग
के लिए अनूठा
कार्यक्रम



उद्देश्य

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना “देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा माल एवं सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी...”

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981





राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए)
कार्यक्रम के अंतर्गत
क्रेता ऋण

परिचय

करीब चार दशक पहले, भारत से निर्यातों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को देश की आर्थिक वृद्धि के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से 1982 में भारत सरकार द्वारा भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) की स्थापना की गई।

हालांकि यह मैंडेट काफी चुनौती भरा था, किन्तु इसे पूरा करने के लिए बैंक ने एक सुनियोजित रणनीति अपनाई और न केवल इसे सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि इस प्रक्रिया में समय-समय पर बैंक द्वारा नई चुनौतियों से निपटते हुए निरंतर नए उत्पाद और सेवाएं भी शुरू कीं।

मात्र निर्यात ऋण को बढ़ावा देने वाली संस्था के रूप में अपना परिचालन प्रारम्भ करने वाला इंडिया एक्ज़िम बैंक आज निर्यात व्यवसाय के हर चरण में अपने विभिन्न कार्यक्रमों और सलाहकारी सेवाओं के जरिए भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और भारतीय कंपनियों को विदेशी परियोजनाओं में व्यवसाय अवसर प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करता रहा है। इंडिया एक्ज़िम बैंक के सहयोग से आज कई भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों में परियोजनाओं का निष्पादन कर रही हैं।

पिछले चार दशकों की उपलब्धियों से इंडिया एक्ज़िम बैंक को एक मजबूत आधार मिला है, जहां से बैंक भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के अपने प्रयास जारी रखेगा। बैंक पारंपरिक वित्तपोषण से आगे बढ़ने और देश के निर्यात योग्य विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित कर उनके निर्यातों को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस ब्रौशर में इंडिया एक्ज़िम बैंक के प्रमुख ऋण कार्यक्रमों में से एक यानी राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण (बीसी-एनईआईए) का विवरण दिया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न भारतीय परियोजना निर्यातकों और विदेशी सरकारों अथवा उनके द्वारा नामित सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं जैसे संभावित विदेशी उधारकर्ताओं को इस कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करना है।



पृष्ठभूमि

इंडिया एक्जिम बैंक परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए समन्वयक और सुविधादाता की भूमिका निभाता है। बैंक, विदेशी टर्नकी परियोजनाओं, सिविल निर्माण कॉन्ट्रैक्टों, आपूर्ति तथा तकनीकी एवं परामर्शी सेवा कॉन्ट्रैक्टों के लिए निधिक और गैर निधिक सुविधाएं प्रदान करता है। इस तरह बैंक, भारतीय कंपनियों को परियोजना निष्पादन में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीते कुछ वर्षों से भारत के परियोजना निर्यातों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो विदेशों में विभिन्न गतिविधियों में भारतीय विशेषज्ञता की बढ़ती प्रतिष्ठा और देश के बढ़ते निर्यातों को प्रदर्शित करती है।

परियोजना निर्यातों को मुख्यतः चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- **सिविल निर्माण:** निर्माण परियोजनाओं में सिविल कार्य, स्टील का संरचनात्मक कार्य, उपयोगी उपकरण की स्थापना तथा बाँधों, पुलों, हवाईअड्डों, रेलवे लाइनों, सड़कों, अंपार्टमेंट, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पतालों, होटलों आदि का निर्माण कार्य शामिल है।
- **टर्नकी परियोजनाएं:** टर्नकी परियोजनाओं में उपकरणों के साथ-साथ संबंधित सेवाओं की आपूर्ति तथा परियोजनाओं की संकल्पना से लेकर उन्हें चालू करने तक की गतिविधियां शामिल हैं। टर्नकी परियोजनाओं के प्रमुख उदाहरण हैं: बॉयलरों की आपूर्ति, बिजली संयंत्रों, ट्रांसमिशन लाइनों, सब स्टेशनों की स्थापना और उन्हें चालू कराने सहित सीमेंट, चीनी, टेक्सटाइल, रसायनों और डिसेलिनेशन संयंत्रों की स्थापना कराना।
- **परामर्शी सेवाएं:** सेवा कॉन्ट्रैक्टों के तहत तकनीकी जानकारी, कौशल, कार्मिक तथा प्रशिक्षण एवं परिचालन और रखरखाव सेवाओं को परामर्शी परियोजनाओं की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सेवा कॉन्ट्रैक्टों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं: परियोजना निष्पादन सेवाएं, औद्योगिक संयंत्र के लिए प्रबंधन कॉन्ट्रैक्ट, अस्पताल, होटल, तेल खनन, रिस्स एवं लोकोमोटिव किराये पर लेना, संयंत्र स्थापित करने संबंधी निरीक्षण तथा आईटी सॉल्यूशन और सिस्टम्स।
- **आपूर्ति:** आपूर्ति कॉन्ट्रैक्टों में प्रमुख रूप से पूँजीगत माल का निर्यात और औद्योगिक विनिर्माण शामिल हैं। आपूर्ति कॉन्ट्रैक्टों के प्रमुख उदाहरण हैं: स्टैनलेस स्टील स्लैब तथा फेरो-क्रोम मैन्युफैक्चरिंग उपकरण, डीजल जनरेटर, पंप, कंप्रेशर और वाहनों की आपूर्ति।



एनईआईए कार्यक्रम के अंतर्गत क्रेता ऋण

भारत से परियोजना निर्यातों, खासकर बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक्ज़िम बैंक ने इसीजीसी लिमिटेड (ईसीजीसी) के सहयोग से अप्रैल 2011 में भारत सरकार के राष्ट्रीय बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण (बीसी-एनईआईए) नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया। इसके अंतर्गत बैंक भारत से परियोजना निर्यातों को वित्तपोषित करता है तथा उन्हें सुगम बनाता है।

बीसी-एनईआईए अपनी तरह की अनूठी वित्तपोषण व्यवस्था है, जिसमें परियोजना भारतीय निर्यातकों को दायित्व रहित सुरक्षित वित्तपोषण का विकल्प मिलता है। यह उन भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए मददगार है, जिन्हें मध्यम और लंबी अवधि के आस्थगित ऋणों की आवश्यकता होती है। साथ ही यह परंपरागत और विकासशील देशों के नए बाजारों में पहुंच बनाने के लिए भी प्रभावी माध्यम है।

वहीं, एनईआईए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक न्यास (ट्रस्ट) है। इसकी स्थापना भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए मध्यम से दीर्घावधि निर्यात क्रण बीमा कवर प्रदान करने के लिए की गई है। इसका परिचालन इसीजीसी द्वारा किया जाता है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक पूँजीगत माल, संयंत्र और मशीनरी, औद्योगिक उत्पादों, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं (कंज्यूमर ड्यूरेबल्स) तथा भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए निर्धारित अन्य वस्तुओं के निर्यातों के वित्तपोषण के लिए विदेशी उधारकर्ता को एनईआईए कवर के बिना भी मध्यम अवधि के लिए क्रेता ऋण प्रदान करता है।

परियोजना निर्यातों को सहायता

बीसी-एनईआईए कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय परियोजना निर्यातकों को परियोजना के लिए निधिक जरूरतों के अनुरूप वित्तीय सहायता दी जाती है और उनकी बैलेंस शीट भी प्रभावित नहीं होती। परिणामस्वरूप, भारतीय परियोजना निर्यातक फायनेंस की चिंताओं से मुक्त होकर जहां परियोजना को समय पर संतोषजनक ढंग से पूरा कर पाते हैं, वहीं वित्तपोषण संबंधी वाणिज्यिक और राजनीतिक जोखिमों से भी मुक्त रहते हैं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा बीसी-एनईआईए सुविधा विदेशी सरकारों और उनके द्वारा नामित सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं (पैरास्टैटल एजेंसियों) को विदेशी सरकारों की संप्रभु गारंटी के जरिए प्रदान की जाती है। एनईआईए, इसीजीसी के जरिए ऋण सुविधा के लिए बीमा कवर प्रदान करता है। बीसी-एनईआईए कार्यक्रम के अंतर्गत इसीजीसी द्वारा चिह्नित की गई सकारात्मक सूची में वर्तमान



में 92 देश हैं (वर्तमान सूची संलग्नक-1) में दी गई है। अन्य देशों/भारतीय परियोजना निर्यातकों से परियोजनाओं के लिए मिलने वाले ऋण अनुरोधों के आधार पर इस सूची में विस्तार/संशोधन किया जा सकता है।

पात्रता एवं प्रक्रिया

बीसी-एनईआईए कार्यक्रम के अंतर्गत कवर के लिए परियोजना की पात्रता अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पर आधारित होती है: (i) देश जोखिम का आकलन (ii) भारतीय परियोजना निर्यातकों और विदेशी उधारकर्ताओं का ट्रैक रिकॉर्ड व उनकी अच्छी वित्तीय स्थिति, तथा (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के परियोजना और सेवाओं के निर्यात से संबंधित अनुदेशों के ज्ञापन (मेमोरैंडम ऑफ इंस्ट्रक्शंस) का अनुपालन। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत केवल अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले प्रतिष्ठित भारतीय परियोजना निर्यातकों को सहयोग प्रदान किया जाएगा।

सामान्यतया ऋण राशि कॉन्ट्रैक्ट के मूल्य की 85% से ज्यादा नहीं होती है और शेष राशि विदेशी उधारकर्ता द्वारा अग्रिम या डाउनपेमेंट के रूप में लाई जाती है। इससे अधिक ऋण राशि के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मामलेवार आधार पर विचार किया जा सकता है। ऋण पर ब्याज दर इंडिया एक्जिम बैंक की लागत (कॉस्ट ऑफ फँड्स) प्लस स्प्रैड पर आधारित होती है। ऋण अवधि सामान्यतया 8 से 20 वर्ष होती है, जिसमें आपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट 8 वर्ष तक के होते हैं। इससे अधिक अवधि के ऋण के लिए प्रस्ताव की गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा, जो इस प्रकार की अवधि के लिए उपलब्ध एनईआईए कवर के अध्यधीन होगा। उधारकर्ता देश के वित्त मंत्रालय के अलावा किसी अन्य उधारकर्ता के मामले में सिक्योरिटी के रूप में संप्रभु गारंटी और मामले-वार आधार पर निर्धारित कोई अन्य सिक्योरिटी शामिल होती है।

एनईआईए के अंतर्गत निर्यात ऋण बीमा कवर के लिए, परियोजना को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की निदेश समिति (सीओडी) के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इंडिया एक्जिम बैंक भारत से परियोजनाओं के विदेशी खरीदार को सीधे ऋण प्रदान करता है और इस ऋण के लिए भारतीय निर्यातक किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं होता है।

इच्छुक भारतीय कंपनियां रुचिपत्र/सिद्धांत रूप में प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए बैंक के बीसी-एनईआईए समूह (**pegeximbankindia.in**) से संपर्क कर सकती हैं। इस तरह के पत्र बिड प्रस्तुत करते समय सहयोग के लिए रुचि दिखाने का संकेत मात्र होते हैं। इन्हें इंडिया एक्जिम बैंक के लिए कानूनी बाध्यता और ऋण सुविधाओं के लिए आश्वासन न माना जाए। ऋण सुविधाओं के लिए अंतिम मंजूरी पत्र कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने और बैंक द्वारा सम्यक जांच करने के बाद ही दिया जा सकता है। कार्यक्रम के नियम एवं शर्तें तथा प्रक्रिया का विवरण आगे के पत्रों पर दिया गया है।



प्रमुख नियम व शर्तें

कार्यक्रम	भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) कार्यक्रम के अंतर्गत क्रेता ऋण
पात्र उधारकर्ता	संप्रभु सरकारें और उनके स्वामित्व वाली नामित इकाइयों (पैरास्टैटल एजेंसियां) को भारत से पात्र माल एवं सेवाओं के आयात के वित्तोषण के लिए आस्थगित भुगतान शर्तों पर यह ऋण प्रदान किया जाता है।
पात्र माल	भारत से परियोजना निर्यात
पात्र भारतीय कंपनियां	संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छी वित्तीय स्थिति वाले और प्रतिष्ठित भारतीय परियोजना निर्यातक।
ऋण राशि	क्रेता ऋण के अंतर्गत सामान्य तौर पर संविदा मूल्य की अधिकतम 85% राशि ही कवर की जाती है। शेष राशि उधारकर्ता द्वारा लाई जाती है। इससे ज्यादा की ऋण राशि के लिए मामले की विशिष्टता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से विचार किया जा सकता है।
ब्याज दर	<p>इस कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी उधारकर्ताओं द्वारा देय ब्याज दर ऋण अवधि से जुड़ी होंगी। मौजूदा दरें निम्नानुसार हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए छमाही लाइबोर + 1.25% प्रति वर्ष • 8-12 साल की अवधि के लिए छमाही लाइबोर + 1.50% प्रति वर्ष; • 12-15 साल की अवधि के लिए छमाही लाइबोर + 1.75% प्रति वर्ष और • 15-20 साल की अवधि के लिए छमाही लाइबोर + 1.85% प्रति वर्ष (ब्याज दरें पहले छाँड़ाउन की तारीख से 10 साल बाद पुनर्निर्धारित की जाएंगी / समीक्षा की जाएंगी) <p>इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा इन दरों की समीक्षा वार्षिक आधार पर या बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार निर्धारित समय पर की जाती है।</p>



ब्याज अंतर और प्रभार/फीस	<p>इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा निर्धारित यथोचित ब्याज अंतर वर्तमान में विदेशी उधारकर्ता/भारतीय परियोजना निर्यातकों द्वारा (मामले-वार आधार पर निर्धारित अनुसार) वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय परियोजना निर्यातकों द्वारा वहन किए जाने वाले वर्तमान प्रभार अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।</p>
एनईआईए बीमा प्रीमियम	<p>एनईआईए की व्यापक जोखिम कवर पॉलिसी के लिए बीमा प्रीमियम भारतीय परियोजना निर्यातक/उधारकर्ता द्वारा, परस्पर सहमति अनुसार वहन किया जाता है। प्रीमियम दर ईसीजीसी के देश वर्गीकरण के अध्यधीन है। एनईआईए बीमा प्रीमियम का वर्तमान स्लैब अनुलग्नक-III में दिया गया है।</p>
अवधि/चुकौती अवधि	<p>ऋण अवधि सामान्य तौर पर 8 से 20 साल होगी, आपूर्ति संबंधी कॉन्ट्रैक्ट 8 वर्ष का होगा। इससे अधिक अवधि के ऋण के लिए प्रस्ताव की मेरिट के आधार पर विचार किया जा सकता है, जो इस प्रकार की अवधि के लिए एनईआईए कवर की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।</p>
प्रतिभूति (सिक्योरिटी)	<ul style="list-style-type: none"> यदि उधारकर्ता विदेशी सरकार के वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त कोई अन्य संस्था है, उधारकर्ता देश की संप्रभु गारंटी। प्रत्येक मामले के आधार पर निर्धारित कोई अन्य सिक्योरिटी
कार्यक्रम के अंतर्गत कवर की जाने वाली परियोजनाएं	<p>इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग के लिए ऐसे क्षेत्रों की परियोजनाएं कवर की जाएंगी, जिनमें भारतीय कंपनियों की विशेषज्ञता स्थापित हो चुकी हो। ऐसे क्षेत्रों में अन्य के अलावा निम्नलिखित प्रमुख हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> विद्युत (उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण), थर्मल, हाइड्रो, सौर और पवन;



	<ul style="list-style-type: none"> • यातायात (ळ) रेलवे (रेल लाइनों, पुलों, सिग्नलिंग, रॉलिंग स्टॉक सहित); (ळळ) सड़कें (फ्लाईओवरों, पुलों और टोल प्लाजा सहित); (ळळळ) वाहन और संबंधित उपकरण (भारी वाणिज्यिक वाहनों, यात्री वाहनों सहित) • पूँजीगत और इंजीनियरिंग माल • आवास, अस्पताल और संबंधित सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर • पानी (ट्रीटमेंट, वितरण, स्वच्छता, सिंचाई)
पात्र देश	बीसी-एनईआईए के लिए ईसीजीसी की सकारात्मक सूची में शामिल देश। यह सूची अन्य देशों / भारतीय परियोजना निर्यातकों की ओर से परियोजनाओं के लिए ऋण आवेदन मिलने पर यथोचित रूप से बढ़ाई या संशोधित की जा सकती है।
ऋणदाता का इंजीनियर	बीसी-एनईआईए के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए ऋणदाता के इंजीनियर की नियुक्ति की जाती है। इस इंजीनियर द्वारा परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी, जिसमें परियोजना की प्रगति, परियोजना से जुड़े जोखिम, फंड के प्रयोग जैसी जानकारियां शामिल होंगी। इस इंजीनियर की लागत का वहन यथा लागू और परस्पर सहमति अनुसार निर्यातक, इंडिया एक्जिम बैंक या उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा।
भारतीय सामग्री	बीसी-एनआईआईए के अंतर्गत कवर किए गए माल और सेवाओं की ऋण राशि के माल और सेवाओं के मूल्य का कम से कम 75% हिस्सा भारत से आयात किया जाना अनिवार्य है। अपवाद की स्थिति में अधिकतम अतिरिक्त छूट प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है। यह विशेष रूप से सिविल निर्माण वाली इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण (ईपीसी) परियोजनाओं पर लागू होता है।



बिंदुवार प्रक्रिया


- i) भारतीय निर्यातक बीसी-एनईआईए कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए इंडिया एक्जिम बैंक से संपर्क करता है।
- ii) इंडिया एक्जिम बैंक प्राथमिक रूप से सम्यक जांच करता है और निर्देशात्मक शर्तों के साथ सैद्धांतिक मंजूरी देता है। बीसी-एनईआईए कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए संतोषजनक ट्रैकिंग, अच्छी वित्तीय स्थिति वाले और प्रतिष्ठित भारतीय निर्यातकों के अनुरोध पर ही विचार किया जाता है।
- iii) कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने तथा इस पर भारतीय निर्यातक व विदेशी खरीदार द्वारा हस्ताक्षर हो जाने के बाद इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा इसकी विस्तृत समीक्षा की जाती है और आवश्यक आंतरिक मंजूरियां ली जाती हैं।
- iv) इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की निदेश समिति (सीओडी) के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है। यह समिति प्रस्ताव की गुणवत्ता के आधार पर एनईआईए कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के लिए मंजूरी हेतु विचार करती है।
- v) एनईआईए के अंतर्गत निर्यात ऋण बीमा कवर के लिए निदेश समिति से अनुमोदन मिलने के बाद ईसीजीसी द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर के साथ अनुमोदन दिया जाता है।
- vi) क्रेता ऋण करार की शर्तों पर बातचीत होती है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है।
- vii) इंडिया एक्जिम बैंक विदेशी उधारकर्ता को क्रेता ऋण की मंजूरी प्रदान करता है।
- viii) इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा बैंक की नीति के अनुसार, परियोजनाओं के लिए ऋणदाता के इंजीनियर की नियुक्ति करने पर विचार किया जा सकता है।
- ix) इंडिया एक्जिम बैंक और विदेशी खरीदार क्रेता ऋण करार पर हस्ताक्षर करते हैं और यदि विदेशी उधारकर्ता उस देश के वित्त मंत्रालय के अलावा कोई अन्य है, तो उस स्थिति में विदेशी उधारकर्ता सरकार द्वारा संप्रभु गारंटी जारी की जाती है।
- x) इंडिया एक्जिम बैंक और एनईआईए ट्रस्ट (ईसीजीसी द्वारा संचालित) द्वारा क्रेता ऋण के लिए व्यापक जोखिम कवर नीति पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- xi) इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा बीसी-एनईआईए सुविधा के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को कॉन्ट्रैक्ट के तहत निर्धारित राशि का संवितरण किया जाता है। यह संवितरण साख पत्र (एलसी) में निर्देशित अनुसार स्वीकार्य शिपिंग दस्तावेज मिलने और/अथवा विदेशी उधारकर्ता द्वारा भुगतान को प्राधिकृत करने के बाद किया जाता है।
- xii) देय तारीख और ऋण पूरा होने की अवधि (जब तक कि पूरा ऋण चुका न दिया जाए) तक विदेशी खरीदार द्वारा मंजूर ऋण शर्तों के अनुसार, ब्याज, बकाया मूलधन और संबंधित अन्य प्रभारों का भुगतान किया जाता है।



सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने वाली कामयाबी की नौ कहानियां



देश	:	घाना
क्षेत्र	:	परिवहन (रेलवे)
मंजूर राशि	:	447.17 मिलियन यूएस डॉलर
उद्देश्य	:	टेमा और म्पाकादन के बीच 97.63 किलोमीटर की रेलवे लाइन और रेलवे हेड्स का डिजाइन एवं निर्माण
असर	:	प्रस्तावित रेल लाइन मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का हिस्सा है, जिससे घाना की अर्थव्यवस्था में तेज़ी आने की उम्मीद है। क्योंकि इस रेलवे लाइन के जरिए देश के उत्तरी क्षेत्र को टेमा बंदरगाह से जोड़ा जा सकेगा और परिवहन लागत कम की जा सकेगी।





देश	: मालदीव
क्षेत्र	: परिवहन (सड़क)
मंजूर राशि	: 34.33 मिलियन यूएस डॉलर
उद्देश्य	: हुलुमाले फेज-II परियोजना के लिए सड़क नेटवर्क का विकास
असर	: यह परियोजना हुलहमाले फेज-II परियोजना के समग्र विकास के अंतर्गत है। इस परियोजना से राजधानी माले में भीड़ कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि छोटे द्वीपों से आने-जाने वाली एक लाख से अधिक की आबादी के लिए आसपास के इलाकों में आवासीय सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। इससे मालदीव सरकार सुदूर द्वीपों से आने वाली बड़ी जनसंख्या को बेहतर सार्वजनिक सेवाएं और बेहतर सामाजिक-आर्थिक परिवेश प्रदान कर सकेगी। निर्माण के चरण में इस परियोजना के जरिए स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार और आर्थिक अवसर भी मिले हैं।





देश	: सेनेगल
क्षेत्र	: विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण
मंजूर राशि	: 200 मिलियन यूएस डॉलर
उद्देश्य	: तांबाकौंडा-कोल्दा-ज़ियुइन्कर लिंक्स पर 225 केवी की हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए, आपूर्ति, असेम्बली, कमिशनिंग और विस्तार तथा इस क्षेत्र में वितरण नेटवर्क का पुनरुद्धार करना।
असर	: इस परियोजना के जरिए सेनेगल के दक्षिणी क्षेत्र में तांबाकौंडा, ज़ियुइन्कर और टनफ क्षेत्र को बिजली की बेहतर आपूर्ति की जा सकेगी। इससे परिचालन खर्चों और प्रति केडब्ल्यूएच लागत में कमी आएगी। इन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बढ़ने से पर्यटन बढ़ेगा और आधुनिक इलेक्ट्रिक उपकरणों के प्रयोग से कृषि गतिविधियां भी बढ़ेंगी। यह परियोजना (गाम्बिया रिवर बेसिन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन) के अनुरूप 225 केवी की विद्युत ट्रांसमिशन लाइन को बिजली परियोजनाओं से भी जोड़ेगी।





देश	: जाम्बिया
क्षेत्र	: परिवहन (सड़क)
मंजूर राशि	: 245.75 मिलियन यूएस डॉलर
उद्देश्य	: लुसाका सिटी डीकंजेशन परियोजना का डिजाइन और निर्माण
असर	इस परियोजना के जरिए लुसाका में व्यस्त समय के दौरान सड़कों पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। यातायात कम हने के साथ-साथ इस परियोजना के जरिए लुसाका का सड़क नेटवर्क भी बेहतर होगा, जो संपोषी आर्थिक विकास में सहायक होगा।





देश	: तंजानिया
क्षेत्र	: परिवहन (वाहन)
मंजूर राशि	: 29.61 मिलियन यूएस डॉलर
उद्देश्य	: 777 वाहनों, स्पेयर पुर्जों और संबंधित सेवाओं की आपूर्ति
असर	: ये वाहन आज तंजानिया के तमाम शहरों की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ये पुलिस गश्ती के साथ-साथ पुलिस कर्मियों को लाने-जाने, तंजानिया के सुदूर इलाकों में पानी की आपूर्ति करने और उन इलाकों से कचरा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जहां कचरा निस्तारण के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है।





देश	: जाम्बिया
क्षेत्र	: विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण
मंजूर राशि	: 20.35 मिलियन यूएस डॉलर
उद्देश्य	: ट्रांसमिशन लाइन और संबंधित सबस्टेशनों का निर्माण और वितरण नेटवर्क
असर	: इस परियोजना के जरिए जाम्बिया के लुआंगुआ और रुफुंसा जिलों में विद्युत आपूर्ति करने में मदद मिली है। इससे कृषि और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी हैं। परिणामतः इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ है। परियोजना से विभिन्न अस्पताल, स्कूल/शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय और क्षेत्र के 3 लाख से अधिक निवासी लाभान्वित हुए हैं।





देश	: मोजाम्बिक
क्षेत्र	: पेट्रोलियम/ऑयल और गैस
मंजूर राशि	: 31 मिलियन यूएस डॉलर
उद्देश्य	: जेव्ही से समुद्री टर्मिनल पाइपलाइन के साथ एलपीजी सुविधा का निर्माण और बेइरा बंदरगाह पर 3X1000 एमटी की क्षमता वाले भंडारण टैंक का निर्माण।
असर	: इसके जरिए पेट्रोपोक, एलपीजी का भंडारण करने, इसका प्रबंधन करने, और मोजाम्बिक में वितरण करने के साथ-साथ ज़िम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, मलावी और बोत्सवाना जैसे अपने पड़ोसी देशों को भी एलपीजी बेच पाएगी। बेइरा बंदरगाह इस क्षेत्र में समुद्री मार्ग का महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र है। यह मध्य मोजाम्बिक और ज़िम्बाब्वे का प्रमुख बंदरगाह है। यह नया टर्मिनल इस क्षेत्र की विद्युत संरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इससे न केवल लॉजिस्टिक्स और परिवहन लागत में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी, बल्कि आपूर्तिकर्ताओं का आधिपत्य भी कम होगा। खरीदारों को दूसरे वैश्विक स्रोतों पर विचार करने का विकल्प मिलेगा, ताकि वे अपनी लागत कम कर सकें।





देश	: श्रीलंका
क्षेत्र	: जल
मंजूर राशि	: 60.69 मिलियन यूएस डॉलर
उद्देश्य	: मध्य श्रीलंका के दाम्बुला क्षेत्र में 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना और उसे चालू करना तथा नौ जलाशयों को वितरण करना।
असर	: ग्रेटर दाम्बुला जल शोधन संयंत्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप, 32,000 मिलियन3/दिन के शुद्ध पेयजल उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना से दाम्बुला, केकीरवा, नाउला, पालुगास्वेवा, गालेवेला, सिलगिडिया, हबाराना और पालागाला में 200 ग्राम नीलधारी डिविजनों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। शुद्ध पेयजल से 1,74,000 से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और हाइजीन मिल रहा है। निर्माण के चरण में इस परियोजना से 2000 से अधिक स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला।






देश	: कोत दि'वार
क्षेत्र	: परिवहन (वाहन)
मंजूर राशि	: 87.46 मिलियन यूएस डॉलर
उद्देश्य	: 500 बसों, 62 फ्लीट रखरखाव सपोर्ट वाहनों, स्पेयर पुर्जों और संबंधित सेवाओं की खरीद
असर	बसों से कोत दि'वार की बड़ी आबादी को सस्ते दामों पर परिवहन के सार्वजनिक साधन उपलब्ध हुए हैं। उच्च गुणवत्ता वाली ये बसें विदेशी बाजारों में भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों की उत्कृष्टता को भी प्रदर्शित करती हैं।



ईसीजीसी की देशों की सकारात्मक सूची (यथा 24.03.2021 को)

क्र. सं.	देश	ईसीजीसी रेटिंग	क्र. सं.	देश	ईसीजीसी रेटिंग
1	अफगानिस्तान	C1	18	चिली	A2
2	अल्जीरिया	B1	19	कोलम्बिया	B1
3	अंगोला	B2	20	कांगो गणराज्य	C1
4	अर्जेंटीना	B1	21	कोस्टारिका	A2
5	बहामास	B1	22	कोत दि'वार	B1
6	बांग्लादेश	A2	23	क्यूबा	B2
7	बारबाडोस	B2	24	जिबूती	A2
8	बेलारूस	C1	25	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	C1
9	बेलिज	B2	26	डोमिनिकन गणराज्य	A2
10	बेनिन	B1	27	इक्वाडोर	B1
11	भूटान	A2	28	मिस्र	B1
12	बोलीविया	A2	29	अल सल्वाडोर	B1
13	बोत्स्वाना	A2	30	इथियोपिया	B2
14	ब्राजील	B1	31	इक्वेटोरियल गिनी	C1
15	बुर्किना फासो	B2	32	गैबॉन	B1
16	कम्बोडिया	B1	33	जार्जिया	B2
17	कैमरून	B2	34	घाना	B1



क्र. सं.	देश	ईसीजीसी रेटिंग
35	गिनी गणराज्य	B2
36	ग्वाटेमाला	B1
37	गयाना	B1
38	हैती	B2
39	होँडुरास	B1
40	इंडोनेशिया	A2
41	ईरान*	B2
42	इराक	C2
43	जार्डन	B2
44	कज़ाकिस्तान	B1
45	केन्या	B1
46	कुवैत	A2
47	लाओ पीडीआर	B1
48	लात्विया	A2
49	लेसोथो	B1
50	लाइबेरिया	B2
51	लीबिया	C1
52	मैसिडोनिया	B1
53	मेडागास्कर	B1

क्र. सं.	देश	ईसीजीसी रेटिंग
54	मलावी	B2
55	मालदीव	A2
56	माली	C2
57	मॉरिशस	A2
58	मॉरिटानिया	B1
59	मैक्रिस्को	A2
60	मॉल्डोवा	C1
61	मंगोलिया	B2
62	मोरक्को	B1
63	मोजाम्बिक	C1
64	म्यांमार	C1
65	नामीबिया	B1
66	नेपाल	A2
67	निकारागुआ	B2
68	नाइजीरिया	B2
69	पनामा	A2
70	पापुआ न्यू गिनी	B2
71	पराग्वे	A2
72	पेरु	A2



क्र. सं.	देश	ईसीजीसी रेटिंग
73	फिलीपींस	A2
74	रोमानिया	A2
75	रूस	A2
76	खवांडा	B1
77	सेनेगल	A2
78	सिएरा लिओन	B2
79	श्रीलंका	B1
80	सूरीनाम	B1
81	सीरिया	D
82	तंजानिया	B1
83	टोगो	B1

क्र. सं.	देश	ईसीजीसी रेटिंग
84	त्रिनिदाद एवं टोबैगो	A2
85	ठ्यूनीशिया	C1
86	यूगांडा	B1
87	यूक्रेन	C2
88	उरुग्वे	A2
89	उज़बेकिस्तान	B2
90	वियतनाम	A2
91	ज़ाम्बिया	B2
92	जिम्बाब्वे	D

*ऋण राशि भारतीय रूपये में होगी। ब्याज दरें मामले-वार आधार पर सूचित की जाएंगी।

नोट:

अन्य देशों/भारतीय परियोजना निर्यातकों से परियोजनाओं के लिए अनुरोध मिलने पर उपर्युक्त सूची में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से विस्तार/परिवर्तन किया जा सकता है। यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है तो वह **www.eximbankindia.in** पर उपलब्ध कराया जाएगा।



भारतीय परियोजना निर्यातकों द्वारा वहन किए जाने वाले प्रभार

1. सावधि पत्र (आईटीएस)/रुचि प्रकटन (ईओएल)/निर्गम/विस्तार

निर्गम		
परियोजना मूल्य	आईटीएस/ईओएल की वैधता	निर्गम शुल्क ₹ में
≤ 100 मिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य		5,00,000/-
>100-150 मिलियन यूएस डॉलर	अधिकतम 6 माह के लिए	6,00,000/-
>150 मिलियन यूएस डॉलर		8,00,000/-
विस्तार		50,000/-

भारतीय परियोजना निर्यातक को आईटीएस/ईओएल की समाप्ति से पहले बैंक को सूचित करना होगा, अन्यथा आईटीएस/ईओएल को रद्द माना जाएगा। भारतीय परियोजना निर्यातक के अनुरोध पर अपेक्षित शुल्क के भुगतान के बाद ही आईटीएस/ईओएल नए सिरे से जारी किया जाएगा।

ली गई फीस वापस नहीं की जाएगी।

- वाणिज्यिक कान्ट्रैक्ट तथा उसके अनुमोदन के लिए परिशिष्ट- ₹ 2,00,000/- प्रति परिशिष्ट
- भारतीय परियोजना निर्यातक से दस्तावेज हैंडलिंग प्रभार- प्रत्येक संवितरण मूल्य का 0.20%
- निर्यात दस्तावेज भेजने के लिए भारतीय परियोजना निर्यातक पर लागू कुरियर शुल्क- न्यूनतम ₹ 5,000/- के समतुल्य, जो प्रत्येक संवितरण के साथ लगाया जाएगा।
- दस्तावेजीकरण/विधिक शुल्क (एक बार), रुपये 5,00,000/- या वास्तविक आधार पर
- समय-समय पर लागू कोई अन्य शुल्क।

(इसके अतिरिक्त, उक्त प्रभारों के लिए लागू कर देय होगा)



एनईआईए बीमा प्रीमियम

	मूलधन के 100% कवरेज के लिए प्रीमियम दर % में			मूलधन के 150% कवरेज के लिए प्रीमियम दर % में		
	ईसीजीसी देशों का वर्गीकरण			ईसीजीसी देशों का वर्गीकरण		
कवर अवधि (वर्ष में)	A1 & A2	B1 & B2	C1, C2 & D	A1 & A2	B1 & B2	C1, C2&D
5	1.60	2.40	2.80	2.40	3.60	4.20
6	1.64	2.46	2.87	2.46	3.69	4.31
7	1.68	2.52	2.94	2.52	3.78	4.41
8	1.72	2.58	3.01	2.58	3.87	4.52
9	1.76	2.64	3.08	2.64	3.96	4.62
10	1.80	2.70	3.15	2.70	4.05	4.73
11	1.84	2.76	3.22	2.76	4.14	4.83
12	1.88	2.82	3.29	2.82	4.23	4.94
13	1.92	2.88	3.36	2.88	4.32	5.04
14	1.96	2.94	3.43	2.94	4.41	5.15
15	2.00	3.00	3.50	3.00	4.50	5.25
16	2.04	3.06	3.57	3.06	4.59	5.36
17	2.08	3.12	3.64	3.12	4.68	5.46
18	2.12	3.18	3.71	3.18	4.77	5.57
19	2.16	3.24	3.78	3.24	4.86	5.67
20	2.20	3.30	3.85	3.30	4.95	5.78

ब्याज कम्पोनेन्ट पर बीमा प्रीमियम वार्षिक आधार पर 1% प्रतिवर्ष की दर से वास्तविक आधार पर देय होगा।



भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय

केंद्र एक भवन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स,
कफ़ परेड, मुंबई 400 005.

फोन: (91 22) 22172600, **फैक्स:** (91 22) 22182572

ई-मेल: ccg@eximbankindia.in

वेबसाइट: www.eximbankindia.in, www.eximmitra.in

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद

साकार II, पहली मंजिल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के पास,
एलिसब्रिज पी.ओ., अहमदाबाद 380 006.

फोन: (91 79) 26576852/26576843, **फैक्स:** (91 79) 26577696

ई-मेल: eximahro@eximbankindia.in

बैंगलुरु

रमणश्री आर्केड, चौथी मंजिल, 18, एम. जी. रोड, बैंगलोर 560 001.

फोन: (91 80) 25585755/25589101-04, **फैक्स:** (91 80) 25589107

ई-मेल: eximbro@eximbankindia.in

चंडीगढ़

सी-213, दूसरी मंजिल, एलान्टे ऑफिसेज, प्लॉट संख्या -178-178 ए,
औद्योगिक क्षेत्र फेज -1, चंडीगढ़ - 160 002.

फोन: (91 172) 4629171/73, **फैक्स:** (91 172) 4629175

ई-मेल: eximcro@eximbankindia.in

चेन्नै

ओवरसीज टॉवर, चौथी एवं पांचवीं मंजिल, नं. 756-एल,
अन्ना सलाई, चेन्नै - 600 002.

फोन: (91 44) 28522830/31, **फैक्स:** (91 44) 28522832

ई-मेल: eximchro@eximbankindia.in



गुवाहाटी

नेडफी हाउस, चौथी मंज़िल,
 जी. एस. रोड, दिस्पुर, गुवाहाटी – 781006.
फोन: (91 361) 2237607/609, **फैक्स:** (91 361) 2237701
ई-मेल: eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद

गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-639/640, राजभवन रोड,
 खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद – 500 004.
फोन: (91 40) 23307816-21, **फैक्स:** (91 40) 23317843
ई-मेल: eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता

वाणिज्य भवन, चौथी मंज़िल, (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र),
 1/1 बुड स्ट्रीट, कोलकाता – 700 016.
फोन: (033) 68261301, **फैक्स:** (033) 68261302
ई-मेल: eximkro@eximbankindia.in

नई दिल्ली

ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, सातवीं मंज़िल, एड्जेसेंट रिंग रोड, किंदवई नगर (पूर्व) ,
 148, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली – 110 023.
फोन: (91 11) 61242600/24607700, **फैक्स:** (91 11) 20815029
ई-मेल: eximndo@eximbankindia.in

पुणे

नं. 402 और 402 (बी), चौथी मंज़िल, सिंग्रेचर बिल्डिंग,
 भास्कुर्डा, भंडारकर रोड, शिवाजी नगर, पुणे, महाराष्ट्र – 411 0034.
फोन: (91 20) 25648856, **फैक्स:** (91 20) 25648846
ई-मेल: eximpro@eximbankindia.in



विदेश स्थित कार्यालय

लंदन शाखा

5वीं मंजिल, 35, किंग स्ट्रीट, लंदन- ईसी2वी, 8बीबी, यूनाइटेड किंगडम.

फोन: (44) 20 77969040, **फैक्स:** (44) 20 76000936

ई-मेल: eximlondon@eximbankindia.in

आबिदजान

5 वीं मंजिल, अज्यूर बिल्डिंग, 18-डॉकर क्रोजे रोड,
प्लेट्फोर्म, आबिदजान, कोत दि'वार

फोन: (225-20) 24 29 51, **फैक्स:** (225-27 20) 24 29 50

ई-मेल: eximabidjan@eximbankindia.in

अदिस अबाबा

हाउस नं. 46, जैक्रोस एस्टेट कंपार्ड, वोरेडा 07, बोले सब-सिटी,
अदिस अबाबा, इथियोपिया

फोन: (251 118) 222296, **फैक्स:** (251 116) 610170

ई-मेल: aaro@eximbankindia.in

ঢাকা

মধুমিতা প্লাজা কেনকোর্ট, 12বীঁ মংজিল, প্লাঁট সংখ্যা 11, রোড নংবর 11,
ব্লক জি, বানানী, ঢাকা - 1213 বাংলাদেশ

ফোন: (088) 255042444

ই-মেল: eximdhaka@eximbankindia.in

दुबई

लेवल 5, टेनेसी 1 बी, गेट प्रीसिंक्ट बिल्डिंग नं.3
दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, पो ओ बॉक्स नं. 506541, दुबई, यू.ए.ई.

फोन: (971 4) 3637462, **फैक्स:** (971 4) 3637461

ई-মেল: eximdubai@eximbankindia.in



जोहांस्बर्ग

दूसरी मंज़िल, सैंडटन सिटी ट्रिन टॉवर्स ईस्ट, सैंडहस्ट एक्सटेंशन 3,
सैंट 2196, जोहांस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका
फोन: (27 11) 3265103/13, फैक्स: (27 11) 7844511
ई-मेल: eximjro@eximbankindia.in

सिंगापुर

20, कोलियर क्र., 10-02
सिंगापुर - 049319
फोन: (65) 65326464, फैक्स: (65) 65352131
ई-मेल: eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंगटन डी. सी.

1750, पेंसिल्वेनिया एवेन्यु एन. डब्ल्यू, सूट 1202, वाशिंगटन डी. सी. 20006,
संयुक्त राज्य अमेरिका
फोन: (1 202) 223 3238, फैक्स: (1 202) 785 8487
ई-मेल: eximwashington@eximbankindia.in

यांगून

हाउस नं. 54/ए, तल मंज़िल, बोरान्युत मार्ग, डैगन टाउनशिप,
यांगून, म्यांमार
फोन: (95) 9423694109 / 9750139774
ई-मेल: eximyangon@eximbankindia.in



